न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 08/2024 निर्णय:30.06.2025
ऑनलाईन जीसीएमएस नंबर 2024/202
राजू देवी पत्नी स्व. जगदीश प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी सेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलान्ट—

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़।

—रेस्पोडेन्ट—

2. गंगासागर पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी सेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—गौण रेस्पोडेन्ट—

उपस्थितिः—

1. श्री बाबूलाल सारस्वत अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री कैलाश सारस्वत अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट के पति व गौण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता जगदीश प्रसाद पुत्र गोपालराम जाति ब्राह्मण निवासी सेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के खातेदारी के खेत खाता संख्या नया 1044 खसरा संख्या 2138/1140 तादादी 1.3000 हैक्टेयर बारानी व खसरा संख्या 2141/1141 तादादी 0.1000 हैक्टेयर गै.मु. सड़क व खसरा नम्बर 2145/698 तादादी 2.1400 हैक्टेयर बारानी कुल खसरा 3 कुल तादादी 3.5400 हैक्टेयर वाकेरोही सेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। अपीलान्ट के पति व गौण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता जगदीश प्रसाद पुत्र गोपालराम जाति ब्राह्मण निवासी सेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ का देहान्त दिनांक 29.05.2022 को हो चुका है। अपीलान्ट के पति व गौण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता जगदीश प्रसाद के देहान्त होने के बाद गौण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने स्व. जगदीश प्रसाद के उपरोक्त वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड में स्व. जगदीश प्रसाद के वारिसानों के नाम इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया। गौण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 मजदुरी करने के लिये उसके बाद मुम्बई चला गया व मजदूरी करने के लिये वही रहता है व अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश की अनपढ़ महिला है अपीलान्ट को उपरोक्त वर्णित खेतो पर अपने हिस्से की भूमि पर ऋण लेने की आवश्यकता हुई तब अपीलान्ट ने दिनांक 25.04.2024 को हल्का पटवारी से वादगत खेतो के राजस्व रिकॉर्ड की नकल लेने के लिये मिली तो हल्का पटवारी सेरूणा ने कहा की आपके नाम से कोई भूमि नही हैं आपके पति के नाम की कृषि भूमि का विरासतन इन्तकाल दिनांक 31.10.2022 को ही खारिज हो चुका हैं तब अपीलान्ट ने हल्का पटवारी सेरूणा से इन्तकाल संख्या 2105 दिनांक 21.07.2022 की नकल दिनांक 25.04.2024 को प्राप्त की तो अपीलान्ट को ज्ञात हुआ कि गौण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत विरासत इन्तकाल दर्ज करने हेतु के आधार पर दर्ज इंतकाल संख्या 2105 रोही सेरूणा निरस्त कर दिया गया है व अपीलान्ट को ज्ञात हुआ कि उपरोक्त वादगत खेतों के सम्बन्ध में दर्ज इंतकाल संख्या 2105 रोही सेरूणा बिना किसी आधार पर व गैर कानुनी रूप से तहसीलदार श्रीडुंगरगढ़ द्वारा दिनांक 31.10.2022 को अस्वीकृत कर दिया। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ द्वारा आलोच्य इंतकाल संख्या 2105 रोही सेरूणा बिना किसी आधार पर व गैर कानुनी रूप से अस्वीकृत करने का आदेश दिया गया है उक्त आदेश को खारिज करने के विरूद्व यह अपील श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अपीलान्ट के पति व गौण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता जगदीश प्रसाद पुत्र गोपालराम जाति ब्राह्मण निवासी सेरूणा तहसील श्रीडुंगरगढ़ के अपीलान्ट राजू देवी पत्नी व स्व. जगदीश प्रसाद के दो पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 13:19:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

संतान क्रमशः गंगासागर (गौण रेस्पोडेन्ट संख्या 2) व बजरंगलाल पैदा हुए उक्त बजरंगलाल बचपन अवस्था में ही मांगीलाल पुत्र गोपालराम ब्राह्मण निवासी सेरूणा के गोद चला गया इसलिये स्व. जगदीश प्रसाद के कुल 2 वारिसान अपीलान्ट व गौण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 है तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ द्वारा उक्त तथ्य के सम्बन्ध में बिना किसी जांच पड़ताल के बिना किसी आधार के आलोचय इंतकाल संख्या 2105 रोही सेरूणा को अस्वीकृत करने का आदेश दिया गया जो खारिज किये जाने योग्य है। इंतकाल संख्या 2105 रोही सेरूणा हल्का पटवारी सेरूणा द्वारा दर्ज किया गया उसके बाद हल्का पटवारी द्वारा एक गलत आधार पर नोट लगाया गया कि वारिसों का सही अंकन नहीं हों पाया काबिल खारिज योग्य है हल्का पटवारी के उक्त गलत नोट के आधार पर हल्का गिरदावर द्वारा बिना किसी जांच के नोट लगाया कि मुताबिक रिपोर्ट काबिल खारिज है उसके बाद तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ द्वारा बिना किसी जांच रिपोर्ट व बिना किसी आधार के गलत व गैरकानुनी रूप से उक्त इंतकाल को अस्वीकृत करने का आदेश पारित किया गया जो अवेध एवं विधि विरुद्ध है। खातेदार काश्तकार के मृत्यू के बाद हल्का पटवारी को खातेदार काश्तकार की मृत्यु की सूचना प्राप्त होते ही मृतक काश्तकार के वारिसान के सम्बन्ध में समुचित जाँच कर बाद जाँच नामान्तरण दर्ज कर नामान्तरण की स्वीकृती ही की जानी चाहिये। लेकिन हल्का पटवारी, गिरदावर व श्रीमान तहसीलदार महोदय श्रीडूंगरगढ़ ने बिना कोई जॉच किये नामान्तरण संख्या 2105 रोही सेरूणा को खारिज किया है जो पूर्णतया विधि विरुद्ध व प्राकृतिक आय के सिद्धान्तो के विरूद्ध है जो काबिल खारिज हैं। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ द्वारा उक्त इंतकाल संख्या 2105 रोही सेरूणा को अस्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार की सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया और आदेश जैर अपील एक पक्षिय रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित बिना किसी जांच के पारित किये जाने के कारण निरस्त किये जाने के योग्य है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ ने कानुन व नियमों की जैर इंतकाल अस्वीकृत का आदेश करते समय कोई पालना नही की इसलिए भी आदेश जैर अपील निरस्त फरमाने योग्य है। अपीलान्ट को इंतकाल संख्या 2105 रोही सेरूणा के तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ द्वारा अस्वीकृत करने के आदेश की जानकारी पुर्ण रूप से दिनांक 25.04.2024 को इंतकाल की नकल हल्का पटवारी से प्राप्त होने के बाद हुई जानकारी के अन्दर मियाद यह अपील श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की छुट प्राप्त कर ली गई है। गौण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 मजदूरी करने के लिये मुम्बई रहता हैं। गौण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 वर्तमान में यहा उपस्थित नही होने के कारण गौण रेस्पोडेन्ट बनाया गया हैं। वादगत खेत रोही सेरूणा में स्थित होने से यह अपील श्रीमानजी के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार की है जो पुर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अन्य तथ्य वरवक्त बहस अर्ज किये जाएंगे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार श्रीडुंगरगढ़ द्वारा इंतकाल संख्या 2105 रोही सेरूणा के संबंध में जारी किये गये अस्वीकृत आदेश को निरस्त किया जावे व वादगत खेत खाता संख्या नया 1044 खसरा संख्या 2138/1140 तादादी 1.3000 हैक्टेयर बारानी व खसरा संख्या 2141/1141 तादादी 0.1000 हैक्टेयर गै. मु. सड़क व खसरा नम्बर 2145/698 तादादी 2.1400 हैक्टेयर बारानी कुल खसरा 3 कुल तादादी 3.5400 हैक्टेयर वाकेरोही सेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट व गौण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम बहिस्सा बराबर इंतकाल दर्ज करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अपीलान्ट की उक्त अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टान को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने [illegible] अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबाली जवाब पेश किया। स्टेट की ओर [illegible] पेश किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में रेस्पोडेन्टान को अपील अपीलान्ट स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 13:19:43 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

आदेश

अपील अपीलान्ट आशिंक स्वीकार की जाकर रोही शेरूणा में अस्वीकृत ईन्तकाल संख्या 2105 दिनांक 21.07.2022 में तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा दिये गये अस्वीकृति आदेश को निरस्त किया जाकर अपील तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित (रिमांड) की जाती है कि तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ पुनः विधिक रूप से जांच कर अपीलांट को पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधि संवत रूप से ईन्तकाल दर्ज करने की कार्यवाही करे।

आदेश आज दिनांक 30.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 13:19:43 IST
Reason: SelfAttested